पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 343/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 06.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- फूलपुर: गैर-इरादत्तन हत्या के प्रयास में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– अवगत करना है कि दिनांक 29-02-2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती चन्द्रावती पत्नी रामअवध ग्राम यूसुफपुर खानपुर,थाना फूलपुर,जनपद आजमगढ़ ने लिखित दिया गया कि मेरा पुत्र सुजीत पुत्र स्व रामअवध को दिनांक 25.02.2024 को समय लगभग 07.30 बजे फोन नम्बर 991921xxx – 967001xxxx – 95804xxxxx से मेरे पुत्र के नम्बर- 88747xxxx पर फोन आने पर मेरा लड़का बात-चीत करतें हुए सिकरौर बाजार की ओर जाने लगा पूर्व से घात लगाकर कुछ अज्ञात लोग कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास बैठे थें। मेरे पुत्र के ऊपर प्राण घातक हमला करके उन्हें बुरी तरह से मारे-पीटे जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आई है के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-99/2024 धारा 323/308 भादवि बनाम अज्ञात पजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द थाना फूलपुर के द्वारा कि जा रही है।

विवेचना के दौरान अभियुक्त1.दशरथ सोनकर उर्फ छोटू पुत्र फैजू सोनकर 2.भोनू प्रजापति पुत्र राम आसेर प्रजापति 3.सर्वेश कुमार पुत्र प्रमोद गौतम निवासीगण सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक- 06.11.2024 को व0उप निरीक्षक गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.दशरथ सोनकर उर्फ छोटू पुत्र फैजू सोनकर 2.भोनू प्रजापति पुत्र राम आसेर प्रजापति 3.सर्वेश कुमार पुत्र प्रमोद गौतम निवासीगण सिकरौर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को सिकरौर यूबीआई बैंक के पास से समय 09-35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना- जीयनपुर: दुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 21.10.2024 को वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी व उलहना देने जाने पर विपक्षी गण 1.अमजद पुत्र इमदाद 2. जिसान पुत्र अमजद उर्फ नन्हू 3.हिना पुत्री अमजद उर्फ नन्हू 4. सना पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में   मु0अ0सं0 482/2024 धारा 354/354(ख)/504/506 भादवि बनाम 1.सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू नि0ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया, विवेचना के दौरान अवलोकन बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि की बढ़ोतरी की गयी विवेचना के क्रम मे।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 06.11.2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड मय हमहराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सैफ पुत्र अमजद उर्फ नन्हू निवासी नत्थुपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को उसके घर ग्राम नत्थुपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ से नियमानुसार समय 10.20 बजे दिन मे हिरासत पुलिस मे लियवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना – कन्धरापुरः शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2024 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया व इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया व घर वालो द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बंध मे मु0अ0स0 311/2024 धारा 137(2)/87/69/61(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएसएस व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम- 1. अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ 2. मीरा निषाद पुत्री जयराम निषाद 3. लालदेव पुत्र समहारु 4.जोगिन्दर पुत्र लालदेव 5.कन्हैया निषाद पुत्र लालदेव निवासीगण ग्राम सेहदा(झझवा) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को उ0नि0 जय प्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश निषाद पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी ग्राम कादीपुर हरिकेश (हसनपुर)थाना कप्तानगंज आजमगढ उम्र 19 वर्ष को सेहदा पुर्वांचल ओवरब्रिज के नीचे से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना मुबारकपुरः ग्राम देवकली तारन मे हुई हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में मुख्य आरोपी सहित 02 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2024 को वादी मुकदमा योगेन्द्र सिह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी रामाश्रय चौरसिया (मुल्ला) द्वारा वादी के भाई को 50,000 रुपया में गाय बेचने हेतु तय किया गया तथा बयाना के तौर पर 5000 रुपया ले लिया गया और पुनः उसी गाय को रमेश दुबे को बेच दिया गया तथा वादी के भाई द्वारा पूछने पर कहना कि मै गाय को रमेश दुबे को बेच दिया हूँ जो करना है कर लेना तथा वादी व वादी के भाई द्वारा उस गाय के बारे मे बात करने के लिये रमेश दुबे के पास ग्राम मोईनाबाद सी0सी0 रोड पर पहुँचकर रमेश दुबे से बात करना कि उसी समय रमेश दुबे के लड़के अमित दुबे, सुरेश दुबे, बब्लू दुबे आदि का मौके पर आ गये तथा बात चीत के दौरान वादी व वादी के भाई को मारने-पीटने लगे तथा उसी मे से किसी एक व्यक्ति द्वारा दौड़कर घर से असलहा(बन्दुक) लेकर आया और वादी के भाई को गोली मार दी गयी, तथा शेष व्यक्तियो द्वारा ईट पत्थर चलाया गया व वादी के भाई को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2),191(3),115(2),125,61(2),103(1) BNS व 25/27/30 आयुध अधि0 बनाम 1.रमेश दुबे पुत्र अज्ञात 2- अमित दुबे पुत्र रमेश दुबे 3-सुरेश दुबे पुत्र रमेश दुबे 4-बब्लू दुबे पुत्र रमेश दुबे निवासीगण देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 5- रामाश्रय चौरसिया (मुल्ला) पुत्र अज्ञात सा0 इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा की जा रही है।

➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना कारित किये जाने वाले अभियुक्तों के गिरफ्तारी के हेतु कुल पाँच टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम मेः-

➡दिनांक- 16/17-09-2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुरेश दुबे पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र दूबे निवासी ग्राम देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 58 वर्ष 2. रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्व0 सूर्यबली चौरसिया निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 06.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनीत दूबे पुत्र त्रिपुरारारी दुबे निवासी ग्राम देवकली तारन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के घर ग्राम देवकली तारन में दबिश देकर समय करीब 10.10 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

थाना मुबारकपुर-

"मिशन शक्ति फेज-5"

दिनांकः-06.11.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरुक।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के दृष्टिगतः-

आज दिनांक 06.11.2024 को जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गयी व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वीमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन-शक्ति-अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूकता के क्रम में महिलाओं/छात्राओं को जागरुक किया गया।